भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3831

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

रोजगार और कौशल विकास पहल

3831. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट आवंटन में काफी वृद्धि देखी गई है;

(ग) क्या पूर्व के वर्ष में निधि का अल्प उपयोग देखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रोजगार से जुड़ी पहल योजना (ईएलआई) के लिए आवंटन को दोगुना करके 20,000 करोड़ रूपये करने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इन लक्ष्यों के प्रभाव को किस प्रकार मापा जाएगा;

(ड.) क्या पहचान पत्र, ई-श्रम पंजीकरण और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सेवा कवरेज शुरू करने हेतु कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है, क्योंकि सरकार का ध्यान गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने पर है;

(च) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी-दिशा) को बंद कर दिया है; और

(छ) यदि हां, तो क्या ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की कमी को दूर करने और वंचित आबादी के लिए डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): जी, हां। सरकार ने ट्रेजरी सिंगल एकाउंट (टीएसए), केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए)/ राज्य

नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से विभिन्न उपायों को कार्यान्वित किया है, जिसके माध्यम से तैयार की गई विभिन्न रिपोर्टों की सहायता से वास्तविक समय पर निगरानी संभव है। इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंधित प्रभागों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं तकि वे बजट का यथार्थवादी आकलन सुनिश्चित करें तथा मासिक एवं त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करके उनके लिए आवंटित निधि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें। सभी योजनाओं के अंतर्गत व्यय की नियमित निगरानी की जाती है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, वित्त मंत्रालय ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए 32,646.19 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 10,114.72 करोड़ रुपये (44.89%) की वृद्धि दर्शाता है। आवंटन में यह वृद्धि मुख्य रूप से रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के अंतर्गत की गई है, जिसके लिए बजटीय आवंटन को ₹10,000 करोड़ से दोगुना करके ₹20,000 करोड़ कर दिया गया है।

(ग): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मंत्रालय के लिए बजट अनुमान (ब.अ.), संशोधित अनुमान (सं.अ.) और वास्तविक व्यय (वा.व.) के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**वर्ष**	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**संशोधित अनुमान के संदर्भ में कमी/ अधिक व्यय**
1	2021-22	13306.50	14248.72	24036.32	9787.60(+)*
2	2022-23	16893.68	16117.65	14800.61	1317.04(-)
3	2023-24	13221.73	12521.06	11539.62	981.44(-)

* 11211.97 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान प्रदान किया गया।

(घ): केंद्रीय बजट 2024-25 में, सरकार ने रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1,07,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए "रोजगार और कौशल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज" के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। यह योजना नियोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है और औपचारिक क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करती है। बजट घोषणा के अनुसार, प्रस्तावित योजना के तहत नामांकन की अवधि दो वर्ष है। एक लाख रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वाले प्रथम बार सदस्य बनने वाले/ दोबारा सदस्य बनने वाले लोग ईपीएफओ में अपने नामांकन के आधार पर पात्र होंगे।

योजना के डिजाइन पर सुझाव प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। एक प्रभावी आउटरीच रणनीति तैयार की गई है।

(ङ): योजना को शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमोदन और परिचालन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योजना के शुभारंभ के लिए कोई विशेष तारीख तय नहीं की गई है।

(च) और (छ): प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) की शुरुआत देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए की गई थी। 6 करोड़ की तुलना में देश भर में 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने अपने 79वें दौर (जुलाई, 2022 से जून, 2023) में 'व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण' (सीएएमएस) आयोजित किया। सर्वेक्षण के अनुसार, 15-24 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में से लगभग 78.4 प्रतिशत ने 'संदेश (जैसे, ई-मेल, मैसेजिंग सेवा, एसएमएस) को संलग्न फाइलों (जैसे, दस्तावेज, चित्र, वीडियो) के साथ भेजने' के कौशल के निष्पादन की सूचना दी। इसके अलावा, लगभग 94.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और लगभग 97.1 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास टेलीफोन और/ या मोबाइल फोन है। उक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट फोन के उपयोग, इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, योजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। योजना के तहत प्रशिक्षण और प्रमाणन आधिकारिक तौर पर 31 मार्च, 2024 को संपन्न हो गया।

*****